

# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....121/2014..... जिला ..... जयपुर .....

उनवान : मै0 पायोटेक लाइटिंग एण्ड स्विच गियर्स, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, ए/ई, वृत्त-  
द्वितीय, जयपुर।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	---------------------------------	---

03.02.2014

एकलपीठ

श्री अमर सिंह – सदस्य


अपीलार्थी व्यवहारी के अधिवक्ता श्री एस.के.जैन एवं विभाग की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता श्री डी.पी.ओझा उपस्थित।

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना पत्र सहित उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "वैट अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अर्न्तगत पारित किये गये स्थगन आदेश क्रमांक 217/आरवेट/स्थगन/एए-1/13-14 दिनांक 21.01.2014 के विरुद्ध वैट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, ए/ई, वृत्त-द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवसायी का सर्वेक्षण किया जाकर अपीलार्थी व्यवसायी के विरुद्ध दिनांक 17.12.2013 द्वारा वर्ष 2010-11 के आदेश से अपीलार्थी व्यवसायी के विरुद्ध कर, शास्ति एवं ब्याज कुल मांग रूपये 75,566/- आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष रूपये 73,337/- के स्थगन पर आवेदन किया है। अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 21.01.2014 द्वारा उक्त राशि में से 50,000/- की वसूली पर रोक आवेदन स्वीकार करते हुए शेष राशि की वसूली को अस्वीकार कर दिया है। अपीलीय अधिकारी के इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना प्रस्तुत की गई है। जिसमें स्थगन आवेदन पर रूपये 23,337/- को विवादित किया है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।


अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि वक्त सर्वेक्षण जो चालान पाये गये थे उनका कर जमा कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में कोई कर नहीं बताया गया है। अतः न्यायहित में कर का भी सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवसायी के पक्ष में निहित है अतः अपील



**राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर**

अपील संख्या.....121 / 2014..... जिला ..... जयपुर .....

उनवान : मै0 पायोटेक लाइटिंग एण्ड स्विच गियर्स, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, ए/ई, वृत्त-  
द्वितीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.02.2014	<p align="center"><b>:: 2 ::</b></p> <p>मय स्थगन आवदेन स्वीकार करने का निवेदन किया।</p> <p>विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार करने का निवेदन किया।</p> <p>उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पक्षकारों की बहस सुनने के पश्चात् यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवसायी के वक्त सर्वेक्षण से जो चालान पाये गये थे उनका अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा कर जमा कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में कोई कर बकाया नहीं बताया गया है। अतः न्यायहित में कर का भी सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवसायी के पक्ष में प्रतीत होता है अतः स्थगन आवदेन में विवादित राशि रूपये 23,337/- की वसूली पर इस शर्त के साथ रोक लगायी जाती है कि अपीलार्थी व्यवसायी आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर दो मोतबीर जमानत कर निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार पेश करेगा अन्यथा ये स्थगन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। अपीलीय अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि आपके यहां लम्बित उक्त प्रकरण का निस्तारण इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस से 3 (तीन) माह के भीतर करे।</p> <p align="right">निर्णय सुनाया गया।</p> <p align="right">               3-2-14              (अमर सिंह)              सदस्य           </p>	